भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1017
दिनांक 24 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

अनाथों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ

1017. **डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में अनाथ बच्चों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है या अनुमान लगाया है और यदि हाँ, तो तमिलनाडु सहित सभी राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) अनाथ, एकल माता-पिता वाले या त्यक्त बच्चों के रूप में चिह्नित और 'मिशन वात्सल्य' के अंतर्गत आने वाले बच्चों सहित बाल देखरेख संस्थानों में रह रहे बच्चों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने पिछले पाँच वर्षों में ऐसे बच्चों के पुनर्वास, गोद लेने, पालन पोषण संबंधी देखभाल और शिक्षा में सहायता के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) क्या अनाथ और कमज़ोर हालात वाले बच्चों के लिए कोई केंद्रीकृत डेटाबेस या निगरानी प्रणाली है, यदि हाँ, तो उसके कार्यकरण तथा कवरेज सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लाभ सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है, साथ ही इस संबंध में यदि कोई प्रस्तावित नीतिगत पहलें हैं तो उनका ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे अधिनियम, 2015) देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों और विधि का

उल्लंघन करने वाले बच्चों की सुरक्षा, संरक्षा, गरिमा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक कानून है, जो देखरेख, संरक्षण, विकास, उपचार, पुनर्वास और सामाजिक पुन: एकीकरण के माध्यम से उनकी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जेजे अधिनियम के लिए नोडल मंत्रालय है।

जेजे अधिनियम 2015 के तहत, बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) को अनाथ, परित्यक्त और अभ्यर्पित किए गए बच्चों सहित देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। उन्हें बाल देखभाल संस्थाओं (सीसीआई) के कामकाज की निगरानी करने के लिए भी अधिदेशित किया गया है। इसी प्रकार, किशोर न्याय बोर्डों (जेजेबी) को विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों के कल्याण के संबंध में निर्णय लेने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। अधिनियम सीसीआई में रहने वाले बच्चों के सर्वोत्तम हित को सुरक्षित करने के लिए देखरेख और संरक्षण के मानकों को परिभाषित करता है और इसका उद्देश्य गैर-संस्थागत देखरेख सेवाओं के माध्यम से पारिवारिक वातावरण प्रदान करना है जिसमें प्रायोजन, पालक देखरेख और पश्चात देखरेख शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 'मिशन वात्सल्य योजना' के तहत निधि प्राप्त करने वाले बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) में रहने वाले बच्चों जिनमें अनाथ, अकेले माता-पिता वाले या परित्यक्त बच्चे शामिल हैं, की राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार (तमिलनाडु राज्य सहित) संख्या **अनुलग्नक** में दी गई है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अनाथ बच्चों सहित संकटग्रस्त बच्चों को कई तरह की सेवाएँ देने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पूर्व तय लागत-साझाकरण के आधार पर 'मिशन वात्सल्य' नाम की केंद्र-प्रायोजित योजना क्रियान्वित कर रहा है। यह योजना संस्थागत देखरेख और गैर-संस्थागत देखरेख की सुविधा देती है। मिशन वात्सल्य योजना के तहत स्थापित बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) अन्य सुविधाओं के साथ-साथ आयु उपयुक्त शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, मनोरंजन, स्वास्थ्य देखरेख, परामर्श आदि की सुविधाएँ प्रदान करते हैं। गैर-संस्थागत देखरेख सेवा के तहत, प्रायोजन, पालक देखरेख और पश्चात देखरेख के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अलावा, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 और दत्तक ग्रहण नियमों के तहत दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (कारा) द्वारा विनियमित और सुलभ किया जाता है। परिवार-आधारित देखरेख को बढ़ावा देने के लिए पालक देखरेख और प्रायोजन को प्रोत्साहित किया जाता है और

पारिवारिक माहौल में बच्चों के पालन-पोषण में सहायता के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श और उनके समन्वय से एक एकीकृत मिशन वात्सल्य पोर्टल' बनाया है। लापता/पाए गए बच्चों के लिए ट्रैक चाइल्ड पोर्टल और लापता/देखे गए बच्चों के लिए खोया-पाया एप्लीकेशन को इस एकीकृत मिशन वात्सल्य पोर्टल के साथ जोड़ा गया है। यह पोर्टल बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी मुख्य सेवाओं को एक साथ लाता है और राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए डिजिटल केस मैनेजमेंट, लाभार्थियों की ट्रैकिंग, संस्थागत निगरानी और रिपोर्टिंग को आसान बनाता है। यह पोर्टल 'चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम' (केयरिंग्स) पोर्टल को भी अपने साथ जोड़ता है जिससे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ट्रैकिंग, पुनर्वास और दत्तक ग्रहण से जुड़ी सेवाओं को मज़बूती मिलती है।

मिशन वात्सल्य पोर्टल को सभी 36 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू कर दिया गया है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि वे बच्चों से जुड़ी और संस्थागत डेटा को नियमित रूप से अद्यतन करते रहें।

अनुलग्नक

‘अनाथों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभ’ के संबंध में डॉ. कलानिधि वीरस्वामी द्वारा पूछे गए दिनांक 24.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 1017 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वित्तीय वर्ष वर्ष 2025-26 के दौरान 'मिशन वात्सल्य' योजना के तहत निधि प्राप्त बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) में रहने वाले बच्चों जिनमें अनाथ, अकेले माता-पिता वाले/परित्यक्त बच्चे भी शामिल हैं का तमिलनाडु सहित राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण।

क्र. सं.	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान सीसीआई में कुल बच्चे
1	आंध्र प्रदेश	2284
2	अरुणाचल प्रदेश	222
3	असम	2036
4	बिहार	3228
5	छत्तीसगढ़	1714
6	गोवा	405
7	गुजरात	2987
8	हरियाणा	960
9	हिमाचल प्रदेश	1312
10	जम्मू और कश्मीर	1870
11	झारखंड	1765
12	कर्नाटक	2853
13	केरल	1370
14	मध्य प्रदेश	2392
15	महाराष्ट्र	4185
16	मणिपुर	2555
17	मेघालय	993
18	मिजोरम	1742
19	नागालैंड	663
20	ओडिशा	7311

21	पंजाब	543
22	राजस्थान	4629
23	सिक्किम	725
24	तमिलनाडु	11217
25	तेलंगाना	2465
26	त्रिपुरा	1235
27	उत्तर प्रदेश	5125
28	उत्तराखंड	909
29	पश्चिम बंगाल	7725
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	264
31	चंडीगढ़	370
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	58
33	लद्दाख	96
34	लक्षद्वीप	0
35	दिल्ली	1630
36	पुदुच्चेरी	673
